– निर्णय –

फार्म–ए

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, उन्नाव।

पीठासीन अधिकारी- (ANIL KUMAR VERMA-I), **(उच्चतर न्यायिक सेवा) - UP06552**

UPUN010038922019

(निर्णय तिथि – 06.06.2026)

सत्र परीक्षण संख्या – 193/2019

मुकदमा अपराध संख्या – 166/2019

धारा–498ए,304बी,302 भा0दं0सं0 एवं 4 दहेज प्रतिषेध अधि0

थाना – अजगैन, जनपद – उन्नाव।

परिवादी/शिकायतकर्ता	उत्तर प्रदेश राज्य
द्वारा	लोक अभियोजक
अभियुक्त	रजयपाल लोधी पुत्र सुल्तान निवासी– ग्राम सिलौटन खेड़ा, थाना अजगैन, जनपद उन्नाव।
द्वारा लीगल एड डिफेंस काउंसिल	श्री राजेश त्रिपाठी एडवोकेट

फार्म–बी

अपराध की तिथि	23.05.2019
प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने की तिथि	23.05.2019
आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किए जाने की तिथि	16.07.2019
आरोप विरचित किए जाने की तिथि	18.09.2019
साक्ष्य प्रारम्भ होने की तिथि	04.02.2020
निर्णय सुरक्षित करने की तिथि	05.06.2026
निर्णय की तिथि	06.06.2026

अभियुक्त का विवरण

कम संख्या	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी की तिथि	जमानत पर छूटने की तिथि	अपराध के आरोप	दोषमुक्त या दोषसिद्ध	दिया गया दण्ड	धारा–428 दं0प्र0सं0 के उद्देश्य से अभियुक्त के हिरासत में निरूद्धि की अवधि
01	रजयपाल लोधी	26.05.19	लगातार जेल में निरूद्ध	धारा–498ए, 304बी भा0दं0सं0 व वैकल्पिक	धारा–498ए, 304बी(2) भा0दं0सं0 व 4	निर्णय में नीचे अंकित है।	–

Digitally signed by ANIL KUMAR VERMA
Date: 2026.06.06 17:05:12 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

				आरोप 302 भा0दं0सं0 व धारा 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम	दहेज प्रतिषेध अधिनियम में दोषसिद्ध		

फार्म–सी

अभियोजन / प्रतिरक्षा / न्यायालय साक्षीगण की सूची–

ए. अभियोजन साक्षी–

क्रम संख्या	नाम साक्षी	साक्ष्य की प्रकृति
पी0डब्लू0–1	गनेश	वादी मुकदमा / तथ्य साक्षी
पी0डब्लू0–2	ललित	तथ्य साक्षी
पी0डब्लू0–3	बाबूलाल	तथ्य साक्षी
पी0डब्लू0–4	विनोद कुमार सिंह	तहरीर लेखक साक्षी
पी0डब्लू0–5	रजनीश बाजपेई तहसीलदार	पंचायतनामा साक्षी
पी0डब्लू0–6	सेवानिवृत हे0कां0 चन्द्रपाल सिंह	प्रथम सूचना रिपोर्ट व जी0डी0 लेखक
पी0डब्लू0–7	डा0 कौशलेन्द्र प्रकाश	पोस्टमार्टमकर्ता
पी0डब्लू0–8	भीम कुमार, अपर पुलिस अधीक्षक	विवेचक
पी0डब्लू0–9	उ0नि0 प्रशान्त त्रिवेदी	पंचायतनामा साक्षी

बी. प्रतिरक्षा साक्षी–

क्रम संख्या	नाम साक्षी	साक्ष्य की प्रकृति
कोई नहीं।		

सी. न्यायालय साक्षी–

क्रम संख्या	नाम साक्षी	साक्ष्य की प्रकृति
कोई नहीं।		

अभियोजन / प्रतिरक्षा / न्यायालय द्वारा प्रस्तुत प्रपत्रों / प्रदर्शों की सूची–

ए. अभियोजन प्रपत्र / प्रदर्श

क्रम सं0	प्रदर्श संख्या	साक्षी द्वारा साबित	विवरण / उल्लेख
01	प्रदर्श क–1	पी0डब्लू0–1	तहरीर
02	प्रदर्श क–2, प्रदर्श क–3, प्रदर्श क–4, प्रदर्श क–5, प्रदर्श क–6, प्रदर्श क–7	पी0डब्लू0–5	पंचायतनामा, चिट्ठी आर.आई, चिट्ठी सी0एम0ओ0,नमूना सील, फोटो लाश, चालान लाश
03	प्रदर्श क–8, प्रदर्श क–9	पी0डब्लू0–6	प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं जी0डी0 कायमी
04	प्रदर्श क–10	पी0डब्लू0–7	पोस्टमार्टम रिपोर्ट

05	प्रदर्श क–11, क–12, क–13	पी0डब्लू0–8	नक्शानजरी,गिरफ्तारी मेमो, आरोप पत्र
06	प्रदर्श क–14, क–15, क–16, क–17	पी0डब्लू0–9	फर्द अदद दुपट्टा व 3 अदद नोट सौ–सौ के, फर्द मिट्टी सादी व खूनालूद, फर्द आलाकत्ल छुरी एवं जी0डी0 सं0 30

बी. प्रतिरक्षा प्रपत्र/प्रदर्श–

क्रम सं0	प्रदर्श संख्या	साक्षी द्वारा साबित	विवरण/उल्लेख
कोई नहीं			

सी. न्यायालय प्रपत्र/प्रदर्श–

क्रम सं0	प्रदर्श संख्या	साक्षी द्वारा साबित	विवरण/उल्लेख
कोई नहीं			

डी. वस्तु प्रदर्श–

क्रम सं0	वस्तु प्रदर्श संख्या	साक्षी द्वारा साबित	विवरण/उल्लेख
01	वस्तु प्रदर्श–1 लगायत 8	पी0डब्लू0–9	कपड़ा, एक दुपट्टा व सौ–सौ के तीन नोट, मिट्टी सादी, खूनालूद एवं आलाकत्ल छुरी

1. प्रस्तुत मामले में मु0अ0सं0–166/2019 की विवेचना के उपरान्त थाना– अजगैन,जिला उन्नाव द्वारा अभियुक्त रजयपाल लोधी के विरूद्ध अंतर्गत धारा–498ए, 304बी भा0दं0सं0 एवं धारा–3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम में आरोप पत्र न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, उन्नाव में प्रेषित किया गया। मामला सत्र न्यायालय द्वारा परीक्षणीय होने के कारण मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, उन्नाव द्वारा आदेश दिनांक 09.08.2019 द्वारा सत्र सुपुर्द किया गया।

2. संक्षेप में अभियोजन कथन है कि वादी गनेश लोधी ने इस आशय की तहरीर थानाध्यक्ष अजगैन को दी कि उसने अपनी लड़की सोनी का विवाह 17.04.2015 को रजयपाल लोधी के साथ हिन्दू रीति रिवाज से अपनी हैसियत के अनुसार दहेज देकर विवाह किया था। विवाह के बाद से ससुरालीजन बराबर दहेज में दो तोले की एक और जंजीर तथा बुलट मोटरसाइकिल की और मांग करते हुए उसकी लड़की को बराबर प्रताड़ित करते थे। दिनांक 23.05.2019 को उसके लड़के ललित कुमार के मोबाइल फोन पर 11 बजे दिन कॉल आयी कि तुम्हारी बहन को तुम्हारे बहनोई रजयपाल, उनके पिता सुल्तान तथा बड़ा भाई सूर्यपाल ने चाकू, कुल्हाड़ी से मार डाला है। उक्त फोन की सूचना पाकर वह व उसका लड़का ललित व गॉव के बहुत से लोगों के साथ गॉव सिलौटन खेड़ा पुत्री की ससुराल गया तो उसकी लड़की घर के अन्दर लहूलुहान मरी पड़ी मिली। सूचना है कि कार्यवाही करने की कृपा करें।

3. वादी मुकदमा की उपरोक्त तहरीर के आधार पर सम्बन्धित थाने में चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट मु0अ0सं0–166/2019 अंतर्गत धारा–498ए,304बी भा0दं0सं0 व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम में अभियुक्तगण रजयपाल लोधी, सुल्तान एवं सूर्यपाल के विरूद्ध दर्ज की गयी।

4. प्रथम सूचना रिपोर्ट के आधार पर विवेचक द्वारा साक्षीगण के बयान अन्तर्गत धारा–161 दं0प्र0सं0 दर्ज किये, घटना स्थल का नक्शानजरी बनाया। मृतका सोनी के शव का पंचायतनामा से संबंधित प्रपत्र तैयार कर शव विच्छेदन कराया गया। सम्पूर्ण साक्ष्य संकलन के उपरान्त अभियुक्त रजय पाल लोधी के विरूद्ध धारा–498ए, 304बी भा0दं0सं0 एवं धारा–3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम तथा धारा–3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम का आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया। जिस पर न्यायालय द्वारा प्रसंज्ञान लिया गया। अभियुक्त जेल से उपस्थित आया। उसे न्यायालय द्वारा धारा–207 दं0प्र0सं0 के अनुपालन में अभियोजन प्रपत्रों की प्रतियां प्रदान की गयी। प्रकरण सत्र न्यायालय परीक्षणीय होने के कारण मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, उन्नाव द्वारा प्रकरण सत्र न्यायालय विचारण हेतु सुपुर्द किया गया।

5. सत्र न्यायालय ने विचारण के प्रारम्भ में विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा अभियोजन कथानक का सारांश प्रस्तुत करते हुए कहा कि अभियोजन साक्षियों के साक्ष्य के आधार पर मामले को प्रमाणित करने की प्रतिस्थापना की। तत्कालीन विद्वान सत्र न्यायाधीश द्वारा दिनांक 18.09.2019 को अभियुक्त रजयपाल लोधी के विरूद्ध आरोप अन्तर्गत धारा–498ए, 304बी भा0दं0सं0 वैकल्पिक आरोप अन्तर्गत धारा–302 भा0दं0सं0 व धारा–3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम, विरचित कर पढ़कर सुनाया व समझाया गया। अभियुक्त ने आरोप से इनकार किया तथा विचारण की मांग की।

6. अभियोजन पक्ष द्वारा अभियोजन कथानक के समर्थन में निम्न साक्षियों क्रमशः पी0डब्लू0–1 गनेश लोधी (वादी), पी0डब्लू0–2 ललित (गवाह), पी0डब्लू0–3 बाबूलाल नीरज(गवाह), पी0डब्लू0–4 विनोद कुमार सिंह, पी0डब्लू0–5 रजनीश वाजपेई तहसीलदार, पी0डब्लू0–6 रिटायर्ड हे0 कां0 चन्द्रपाल, पी0डब्लू0–7 डा0 कौशलेन्द्र प्रकाश (शव विच्छेदनकर्ता), पी0डब्लू0–8 भीम कुमार गौतम, अपर पुलिस अधीक्षक पी0डब्लू0–9 उ0नि0 प्रशांत द्विवेदी को परीक्षित कराया है तथा अभिलेखीय साक्ष्य में तहरीर प्रदर्श क–1, मृतका सोनी का पंचायतनामा प्रदर्श क–2, चिट्ठी आर.आई. प्रदर्श क–3, चिट्ठी सी0एम0ओ0 प्रदर्श क–4, नमूना सील प्रदर्श क–5, फोटो लाश प्रदर्श क–6, चालान शव फार्म–13 प्रदर्श क–7, प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श –8, नकल जी0डी0 प्रदर्श क–9, मृतका सोनी की शव विच्छेदन आख्या प्रदर्श क–10, नक्शानजरी प्रदर्श क–11, गिरफ्तारी प्रपत्र प्रदर्श क–12, आरोपपत्र प्रदर्श क–13, फर्द लेने कब्जे पुलिस एक अदद दुपट्टा व 3 अदद सौ–सौ के नोट प्रदर्श क–14, फर्द लेने कब्जे पुलिस आलाकत्ल एक अदद छुरी प्रदर्श क–15, फर्द लेने कब्जे पुलिस मिट्टी सादी व खूनालूदा प्रदर्श क–16 एवं जी.डी. नं0 30 प्रदर्श क–17 प्रस्तुत किये गये है।

7. अभियोजन साक्ष्य के उपरान्त अभियुक्त का बयान अन्तर्गत धारा–313 दं0प्र0सं0 दिनांक 25. 02.2026 को लेखबद्ध किया गया, जिसमें अभियुक्त ने अभियोजन कथानक को गलत बताया तथा पी0डब्लू0–1 लगायत 4 द्वारा दिये गये साक्ष्य के सम्बन्ध में गलत बयान देना बताया, पी0डब्लू0–5 के बारे में जानकारी न होने का कथन किया है। पी0डब्लू0–6 के बारे में वादी से मिलकर बाद में चिक एफ.आई.आर. व जी0डी0 का इन्द्राज किया गया। मुकदमा रंजिशन चलने का कथन किया। यह भी कथन किया कि उसे रंजिशन झूठा फसाया गया, वह निर्दोष है। सफाई साक्ष्य देने का कथन किया है, किन्तु कोई सफाई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं दिया।

8. अभियुक्त के लीगल एड डिफेंस काउंसिल तथा विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता

(फौजदारी) के तर्को को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त मौखिक एवं अभिलेखीय साक्ष्य पर गंभीरता पूर्वक अध्ययन एवं परिशीलन किया।

9. पी0डब्लू0–1 गनेश वादी ने सशपथ कथन किया है कि उसने अपनी लड़की सोनी का विवाह घटना से लगभग चार साल पहले रजयपाल पुत्र सुल्तान निवासी सिलौटन खेड़ा थाना अजगैन के साथ किया था। शादी में उसने दान दहेज हैसियत के अनुसार दिया था। दिये गये दान दहेज से उसकी लड़की ससुराल वाले खुश नहीं थे। अतिरिक्त दहेज में दो तोले की सोने की चैन और बुलट मोटरसाइकिल की मांग करते हुए उसकी लड़की को मारता पीटता व प्रताड़ित करता था। दिनांक 23.05.2019 को उसके लड़के ललित कुमार के फोन पर कॉल आयी। फोन करने वाले ने बताया कि तुम्हारी बहन को तुम्हारे बहनोई रजयपाल, उनके पिता सुल्तान व बड़ा भाई सूर्यपाल चाकू, कुल्हाड़ी से मार रहे है। फोन की सूचना पर वह, उसका लड़का ललित कुमार व गॉव का एक लड़का और लड़की की ससुराल सिलौटन खेड़ा गया तो वहॉ पर देखा कि उसकी लड़की घर के अन्दर खून से लथपथ मरी पड़ी थी। उसके बाद उसने थाना अजगैन जाकर एक तहरीर लिखवाकर पढ़वाकर सुनने के बाद उस पर उसने अपना निशानी अंगूठा लगवाया था। साक्षी ने तहरीर पर बने अपने निशानी अंगूठा की पहचान की। साक्षी की तहरीर पढ़कर सुनाई गयी तो साक्षी ने कहा कि ये वही तहरीर है जो उसने लिखवाकर थाने पर दी थी। जो प्रदर्श क–1 है। पुलिस ने उसका बयान लिया था।

10. पी0डब्लू0–2 ललित ने सशपथ कथन किया है कि दिनांक 17.04.2015 को उसकी बहन सोनी की शादी रजयपाल पुत्र सुल्तान निवासी सिलौटन खेड़ा थाना अजगैन के साथ हुई थी। शादी में उन्होंने दान दहेज दिया था। शादी में दिये गये दान दहेज से रजयपाल व उसके परिवार वाले खुश नहीं थे। उसके पिता से जोर दबाव बनाकर 50,000/–रूपये ले लिया और अतिरिक्त दहेज में बुलेट मोटर साइकिल व दो तोले सोने की जंजीर की मांग करते थे। ये सारी बाते उसकी बहन जब उसके घर आती थी, तो रो–रो कर बताती थी। वह और उसके पिता बहन की ससुराल जाकर कहते थे कि जितनी उसकी हैसियत थी, दे चुके, अब नहीं दे सकते, उसकी बहन को सुख चैन से रहने दो, तो बेइज्जती करके अपने घर से भगा दिया। दिनांक 23.05.2019 को लगभग 11 बजे दिन में जब वह बाजार से सब्जी बेंच कर वापस जा रहा था तो उसके मोबाइल पर बहन की ससुराल से किसी लड़की का फोन आया और बताया कि तुम्हारी बहन की हत्या तुम्हारे बहनोई ने कर दी। फिर वह और उसके पिता बहन की ससुराल गये तो देखा कि उसकी बहन की लाश घर के अन्दर लहूलुहान पड़ी थी, उसकी गर्दन कटी थी और अन्य कई शरीर पर चोटें थी। वहॉ से रजयपाल, सुल्तान और सूर्यपाल गायब थे। उसकी बहन की सास पर मौजूद थी। जब कई थानों की पुलिस आई तो सूर्यपाल व सुल्तान आये, रजयपाल फरार हो चुके थे।

11. पी0डब्लू0–3 बाबूलाल ने सशपथ कथन किया है कि गनेश लोधी उसके चचेरे भाई है। सोनी उसकी भतीजी व गनेश की पुत्री थी। सोनी की शादी रजयपाल लोधी के साथ हुई थी। शादी में अपनी हैसियत के अनुसार दिया गया था। दिये गये दान दहेज से रजयपाल व उनके परिजन संतुष्ट नहीं थे और अतिरिक्त दहेज में बुलट मोटरसाइकिल, दो तोले सोने की चैन व पचास हजार रूपये नगद तथा अलमारी आदि की मांग करते थे। वादी पक्ष जब उनकी दहेज की मांग पूरी करने में असमर्थता व्यक्ति की तो रजयपाल व उनके परिजन भतीजी सोनी को प्रताड़ित करते थे। जब सोनी ससुराल से विदा होकर मायके आती थी तो अतिरिक्त दहेज मांग वाली बात

बताती थी। घटना दिनांक 23.05.2019 की है। उसको सूचना मिली थी कि उसकी भतीजी सोनी को उसके पति रजयपाल ने धारदार हथियार से मार डाला है। इस सूचना पर वह सोनी की ससुराल पहुॅचा था और देखा था कि उसकी लाश खून से लथपथ पड़ी थी। मौके पर रजयपाल मौजूद नहीं था। गॉव के लोग एकत्र थे। गॉव के लोग आपस में बातचीत कर रहे थे कि अभियुक्त रजयपाल ने सोनी को अपने परिजन सुल्तान व सूर्यपाल के साथ मिलकर उसकी भतीजी की चाकू व कुल्हाड़ी से मार डाला है। पंचायतनामा की कार्यवाही उसके सामने हुई थी। पंचायतनामा पत्रावली में संलग्न कागज सं0 6क/5 लगायत 6क/6 है जिस पर बने हस्ताक्षर की साक्षी ने पुष्टि किया, जिस पर प्रदर्श क–2 डाला गया। पुलिस ने उसका बयान लिया था।

12. पी0डब्लू0–4 विनोद कुमार सिंह ने सशपथ कथन किया है कि गनेश लोधी उसके बड़े भाई स्व0 जगपाल सिंह के मिलने वाले है। गनेश लोधी का उसके घर आना जाना रहा है। इसलिए वह इनको जानता पहचानता है। दिनांक 23.05.2019 को गनेश लोधी की बड़ी बेटी सोनी को उसके ससुरालीजनों द्वारा दहेज के लिए मार डाला गया था, जिसकी सूचना पर वह गनेश लोधी के साथ थाना अजगैन गया। उक्त घटना की तहरीर उसने दिनेश लोधी को बोलने पर लिखी थी और लिखने के बाद उसने गनेश लोधी को अक्षरशः पढ़कर सुनाया था, जिसके पश्चात दिनेश लोधी ने उक्त तहरीर पर अपना निशानी अंगूठा बनाया था,जिस पर प्रदर्श क–1 पहले से पड़ा है, जिसे देखकर साक्षी ने कहा, यह वही तहरीर है, जिसे उसने थाना अजगैन में लिखा था और इस साक्षी ने इस पर लिखे अपने नाम व पते की पुष्टि किया।

13. पी0डब्लू0–5 रजनीश बाजपेई, तहसीलदार ने सशपथ कथन किया है कि दिनांक 23.05. 2019 को तहसील सदर उन्नाव में नायब तहसीलदार के पद पर नियुक्त था। उसी दिन जिलाधिकारी के आदेश पर थाना अजगैन उन्नाव पहुॅचा, वहॉ पर मृतका सोनी को उसके पति रजयपाल द्वारा चाकू व कुल्हाड़ी मार कर हत्या कर दी गयी थी। अतः उसके द्वारा मौके पर पंचायतनामा की कार्यवाही लगभग 5.15 पीएम पर शुरू की गयी और लगभग 6.15 पीएम पर कार्यवाही समाप्त हुई। पंचायतनामा उसके द्वारा उप निरीक्षक प्रशान्त द्विवेदी से बोल–बोल कर लिखाई गयी थी जो पत्रावली पर पूर्व प्रदर्शित प्रदर्श क–2 है, जिस पर उसके भी हस्ताक्षर बने हुए है, जिसकी वह पुष्टि करता है तथा पंचायतनामा सम्बन्धी प्रपत्र चिट्ठी आर.आई. कागज सं0 6क/9, चिट्ठी सी0एम0ओ0 कागज सं0 6क/10, नमूना सील कागज सं0 6क/11, फोटो लाश कागज सं0 6क/12, फार्म–13 कागज सं0 6क/13 उसके द्वारा तैयार कराये गये थे। जिस पर क्रमशः प्रदर्श क–3 लगायत 7 डाले गये, जिन पर अपने हस्ताक्षर की पुष्टि की। पंचायतनामा में उल्लिखित पंचों की राय से उसकी राय मेल खाती है।

14. पी0डब्लू0–6 रिटायर्ड हे0 कां0 चन्द्रपाल सिंह ने सशपथ कथन किया है कि दिनांक 23.05. 2019 को वह कां0 के पद पर नियुक्त था। उसी दिन 17.20 बजे गनेश लोधी की तहरीर के आधार पर मु0सं0 166/2019 थाना अजगैन अंतर्गत धारा 498ए, 304बी भा0दं0सं0 व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम बनाम रजयपाल लोधी आदि पंजीकृत किया था। उक्त चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट पत्रावली में संलग्न कागज सं0 4क/1 है, जिस पर थाना प्रभारी अनिल कुमार सिंह के हस्ताक्षर व वादी मुकदमा गनेश लोधी का निशानी अंगूठा बना हुआ है, जिसकी वह पुष्टि करता है, जिस पर प्रदर्श क–8 डाला गया। उक्त मुकदमें का खुलासा जी0डी0 सं0 33 पर उसी दिन 17.20 बजे एक ही प्रक्रिया में उसके द्वारा बोल–बोल कर कम्प्यूटर आपरेटर से टाइप कराया गया था।

उक्त जी0डी0 कापी पत्रावली में संलग्न कागज सं0 5क/3 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर बने हुए है, जिसकी वह पुष्टि करता है, जिस पर प्रदर्श क–9 डाला गया। विवेचक ने उसके बयान लिये थे।

15. पी0डब्लू0–7 डा0 कौशलेन्द्र प्रकाश ने सशपथ कथन किया है कि दिनांक 24.05.2019 को वह जिला अस्पताल, उन्नाव में ही डा0 शोभित अग्निहोत्री के साथ पोस्टमार्टम ड्यूटी हेतु नियुक्त था। उसी दिन 12.30 पीएम पर मृतका सोनी पत्नी रजयपाल लोधी पुत्री गनेश लोधी निवासिनी सिलौटन खेड़ा थाना अजगैन उन्नाव उम्र लगभग 23 वर्ष महिला का शव सी0पी0 धीरेन्द्र कुमार सिंह व एम.सी.पी. आरजू यादव थाना अजगैन पीएम हेतु लेकर आयी थी। शव की शिनाख्त ललित कुमार मृतका के भाई ने किया था। पोस्टमार्टम 2.30 पीएम पर शुरू होकर 3.10 पीएम पर समाप्त किया था। शव की लम्बाई 158 से.मी. मध्यम व औसत कद काठी की थी। मृत्यु पश्चात शरीर की अकड़न गर्दन से चली गयी थी और अपर लिम्प्स हाथों की ऊपरी हिस्से से पास होकर निचले हिस्से में मौजूद थी। पीएम स्टेनिंग नितम्ब और कंधे में मौजूद थी। दोनों आंखे तथा मुॅह आंशिक रूप से खुला हुआ था। नाखून पीले थे।

मृत्यु पूर्व आयी चोटेंः–

चोट नं0 1– कटा हुआ घाव 6x1 से.मी. हड्डी की गहराई तक जो दाहिने कान से 2.5 से.मी. पीछे की ओर था।

चोट नं0 2– कटा हुआ घाव 5x1 से.मी. हड्डी की गहराई तक जो दाहिने कान से 3.5 से.मी. नीचे की ओर दाहिने कान के नीचे और मैन्डिबिल से ठीक नीचे।

चोट नं0 3– कटा हुआ घाव 5x1 से.मी. हड्डी तक गहरा जो कि चोट नं0 2 से 2 से.मी. नीचे

चोट नं0 4– कटा हुआ घाव 6x से.मी. हड्डी तक गहरा जो कि चोट नं0 3 से एक से.मी. नीचे था।

चोट नं0 5– कटा हुआ घाव 6 x1 से.मी. हड्डी तक गहरा जो कि दाहिने स्पाइन स्कैपुला पर मौजूद था।

चोट नं0 6– 6 x1 से.मी. गहड्डी तक गहरा 5 से.मी. नीचे चोट नं0 5 से 5 से.मी. नीचे था।

चोट नं0 7– कटा हुआ घाव 7x1 से.मी. x हड्डी तक गहरा जो दाहिने बाये कान से 12 से.मी. नीचे था।

चोट नं0 8– कटा हुआ घाव 5 x1 से.मी. x मांस की गहराई तक जो कि बाये हाथ की कलाई से ऊपर 5 से.मी. वेन्टल सरफेस था।

चोट नं0 9– कटा हुआ घाव 5 x1 से.मी. x मांस तक गहरा 3 से.मी. अन्दर चोट नं0 8 के अन्दर की तरफ था।

आंतरिक परीक्षण–

प्लूरा व फेफड़े पीले थे तथा हृदय के दोनों चैम्बर खाली थे व आमाशय में 100 एम0एल0 तरल पदार्थ मौजूद था। छोटी आंत में गैस व चिपचिपा पदार्थ मौजूद था तथा बड़ी में मल व गैस मौजूद थी। यकृत पीला व गाल ब्लेडर आधा भरा हुआ था। प्लीहा व गुर्दे पीले थे तथा गर्भाशय में खून का थक्का मौजूद था। सरबाइकिल स्पाइनिंग कटी हुई थी।

मृत्यु का सम्भावित समय लगभग 1 दिन था। मृत्यु का कारण शॉक व अधिक रक्तस्राव के

कारण मृत्यु पूर्व आयी चोटों के कारण है। सभी चोटे मृत्यु पूर्व कारित की गयी थी। उपरोक्त सभी चोटें किसी धारदार हथियार से कारित की गयी थी। मस्तिष्क फटा व पीला था। कंठ नली तथा स्वर ग्रन्थि तथा स्वांस नली कटी हुई थी। शव परीक्षण रिपोर्ट उनके लेख व हस्ताक्षर में पत्रावली में संलग्न कागज सं0 6क/2 लगायत 6क/4 है जिस पर डा0 शोभित अग्निहोत्री के भी हस्ताक्षर बने हुए है, जिसकी वह पुष्टि करता है, जिस पर प्रदर्श क–10 डाला गया है।

16. पी0डब्लू0–8 डा0 भीम कुमार गौतम, अपर पुलिस अधीक्षक ने सशपथ कथन किया है कि दिनांक 24.05.2019 को वह क्षेत्राधिकारी, हसनगंज उन्नाव के पद पर नियुक्त था, उसी दिन मु0अ0सं0 166/2019 अंतर्गत धारा 498ए, 304बी भा0दं0सं0 व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम थाना अजगैन जिला उन्नाव की विवेचना ग्रहण कर प्रथम पर्चा किता किया, जिसमें नकल चिक, नकल रपट कायमी तथा बयान कायमी लेखक चन्द्रपाल व बयान वादी गनेश लोधी व बयान मृतका का भाई ललित अंकित किया तथा वादी मुकदमा की निशानदेही पर घटनास्थल का निरीक्षण कर मौके पर ही नक्शानजरी तैयार किया, जो पत्रावली में संलग्न कागज सं0 7क है, जिस पर उसके हस्ताक्षर बने हुए है, जिस पर प्रदर्श क–11 डाला गया है। इसी पर्चे में बयान साक्षीगण पंकज व श्रीमती शिवकुमारी अंकित किया तथा अभियुक्त रजयपाल का तलाश किया जाना अंकित है। पर्चा सं0 2 दिनांक 26.05.2019 को किता किया जिसमें अवलोकन दाखिला नकल रपट अभियुक्त गिरफ्तारी मेमो अंकित किया, जो पत्रावली में कागज सं0 5क/6 है, जिस पर सम्बन्धित लोगों के हस्ताक्षर बने हुए है जिसकी वह पुष्टि करता है, जिस पर प्रदर्श क–12 डाला गया है। इसी पर्चे में बयान अभियुक्त रजयपाल लोधी अंकित किया तथा रिमाण्ड हेतु न्यायालय से अनुरोध किया। पर्चा नं0 3 दिनांक 28.05.2019 को किता किया, जिसमें अवलोकन पी.एम. रिपोर्ट, पंचायतनामा अवलोकन फर्द, नायब तहसीलदार (पंचायतनामा भरने वाले) व पी0एम0कर्ता डा0 शोभित अग्निहोत्री व डा0 कौशलेन्द्र प्रताप तथा पंचायतनामा लेखक प्रशांत द्विवेदी के बयान अंकित किये। पर्चा नं0 4 दिनांक 01.06.2019 को किता किया, जिसमें गवाहान पंचायतनामा बाबूलाल, पप्पू, ललित आदि के बयान अंकित किया। इसी पर्चे में ग्रामीण बुद्धीलाल, पंकज कुमार लोध व श्रीमती निशा देवी व मुन्नू व गोविन्द लोध, रामबहादुर, धनीराम, अमृतलाल लोध तथा लक्ष्मण प्रसाद के बयान अंकित किया। इसी पर्चे में अभियुक्तगण सूर्यपाल व सुल्तान लोधी की नामजदगी गलत पाये जाने पर उनके नाम विवेचना से प्रथक किये गये। पर्चा सं0 5 दिनांक 16.06.2019 को किता किया, जिसमें अवलोकन माल दाखिल रसीद (एफ.एस.एल.) भेजे जाने हेतु अवलोकन किया तथा इसी पर्चे में पंचायतनामा गवाहान सतीश सिंह व अरविन्द अंकित किया। इसी पर्चे में वादी के भाई सजीवन लाल, उसके भतीजे उधरपाल व मनीराम के बयान अंकित किये। तमामी विवेचना, साक्ष्य संकलन बयान गवाहन निरीक्षण घटनास्थल आदि के आधार पर रजयपाल लोधी पुत्र सुल्तान सिंह निवासी सिलौटन खेड़ा थाना अजगैन जिला उन्नाव के विरूद्ध अपराध अंतर्गत धारा 498ए, 304बी भा0दं0सं0 व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम बखूबी साबित होने पर आरोपपत्र सं0 134/19 दिनांकित 16.06.2019 न्यायालय में प्रेषित किया। उक्त आरोपपत्र पत्रावली में संलग्न कागज सं0 3क/1 लगायत 3क/4 है, जिस पर प्रदर्श क–13 डाला गया है।

17. पी0डब्लू0–9 उपनिरीक्षक प्रशान्त द्विवेदी ने सशपथ कथन किया है कि दिनांक 25.05. 2019 को वह थाना अजगैन में उपनिरीक्षक के पद पर तैनात था, उसी दिन समक्ष गवाहान बाबूलाल व विद्याधर घटनास्थल से एक अदद दुपट्टा व 3 अदद 100–100 के नोट, जिस पर खून

लगा हुआ था, कब्जा पुलिस में लेकर मौके पर ही सील सर्व मोहर कर मौके पर ही फर्द बरामदगी तैयार की थी तथा नमूना मोहर तैयार की थी। उक्त फर्द पत्रावली में संलग्नक कागज सं0 5क/11 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर तथा सम्बन्धित लोगों के अलामात बने हुए है, जिस पर प्रदर्श क–14 डाला गया है। दिनांक 23.05.2019 को ही घटना स्थल पर ही समक्ष गवाहान उपरोक्त आलाकत्ल एक अदद छुरी कब्जा पुलिस में लेकर मौके पर ही सील सर्व मोहर कर नमूना मोहर तैयार की थी तथा मौके पर ही फर्द बरामदगी आलाकत्ल तैयार की थी। उपरोक्त फर्द पत्रावली में संलग्न कागज सं0 5क/12 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर तथा गवाहों के अलामात बने हुए है। उक्त फर्द पर प्रदर्श क–15 डाला गया है। दिनांक 23.05.2019 को ही समक्ष गवाहान उपरोक्त घटनास्थल से सादी व खूनालूद मिट्टी कब्जा पुलिस लेकर मौके पर ही सील सर्व मोहर नमूना मोहर तैयार किया था तथा सम्बन्धित फर्द मौके पर ही तैयार की थी। फर्द पत्रावली में संलग्न कागज सं0 5क/13 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर तथा गवाहों के अलामात बने हुए है, जिस पर प्रदर्श क–16 डाला गया है। मृतका सोनी के शव के पंचायतनामें की कार्यवाही उसके समक्ष की थी। पंचायतनामा प्रपत्र पत्रावली में पूर्व प्रदर्शित प्रदर्श क–2 उसके हस्तलेख में है, जिस पर उसके तथा नायब तहसीलदार रजनीश कुमार व अन्य सम्बन्धित लोगों के अलामात बने हुए है, जिसकी वह पुष्टि करता है। घटनास्थल से बरामद एक अदद दुपट्टा व तीन अदद नोट 100–100 के सील सर्व हालत में न्यायालय में उसके समक्ष थाना पैरोकार द्वारा लाये गये, जिस कपड़े में उक्त सभी बरामद माल को सील सर्व मोहर किया गया था, उस कपड़े पर उन्मान लिखा हुआ है। उक्त कपड़े पर वस्तु प्रदर्श–1 डाला गया है। उक्त कपड़े को न्यायालय में खोल कर देखा गया तो उसके अन्दर रखे दुपट्टे को देखकर साक्षी ने कहा कि यह वही दुपट्टा है जिसे उसने समक्ष गवाहान कब्जा पुलिस में लेकर सील सर्व मोहर किया था, उस दुपट्टे पर वस्तु प्रदर्श–2 डाला गया है। मौके से बरामद 3 अदद नोट 100–100 के खूनालूद, यह वही नोट है जिसे उसने मौके से बरामद किया गया। उक्त नोटों पर क्रमशः वस्तु प्रदर्श क–3 ता 5 डाला गया है। आलाकत्ल एक अदद छुरी, जिसे थाना पैरोकार द्वारा लाया गया है, जिस पर चिटबंदी की हुई है, को देखकर साक्षी ने कहा कि यह वही आलाकत्ल छुरी है जिसे उसने समक्ष गवाहान घटनास्थल से बरामद चिटबंदी की थी तथा फर्द प्रदर्श क–15 तैयार की थी, उक्त छुरी पर वस्तु प्रदर्श क–6 डाला गया है। घटना स्थल से बरामद खूनालूद व सादा मिट्टी जिन्हें अलग अलग डिब्बी में चिटबंदी की थी, उसके समक्ष न्यायालय में है, उन पर मुकदमें का उन्मान लिखा है, जिस पर क्रमशः वस्तु प्रदर्श 7 व वस्तु प्रदर्श–8 डाला गया है। उपरोक्त सभी बरामद माल को दिनांक 24.05.2019 को 11.35 बजे जरिए रोजनामचा जी0डी0 सं0 30 के माध्यम से थाना हाजा में दाखिल किया। उक्त जी.डी. संख्या 30 कागज संख्या 5क/14 है, जिसकी वह पुष्टि करता है, जिस पर प्रदर्श क–17 डाला गया है।

18. उभयपक्षों के मध्य यह तथ्य निर्विवाद है कि मृतका सोनी का विवाह अभियुक्त रजयपाल के साथ दिनांक 17.04.2015 को हिन्दू रीति रिवाज के साथ हुआ था और मृतका की मृत्यु दिनांक 23.05.2019 को असामान्य परिस्थितियों में विवाह के 7 वर्ष के अन्दर अभियुक्त के घर में हुई है।

19. विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) ने तर्क प्रस्तुत किया है कि अभियुक्त द्वारा मृतका से दहेज में दो तोला सोने की चैन व बुलेट मोटरसाइकिल की मांग की गयी और अतिरिक्त दहेज की मॉग को लेकर मृतका के साथ क्रूरतापूर्ण व्यवहार करते हुए मानसिक व शारीरिक रूप से

प्रताड़ित किया गया और उसके शरीर पर चाकू से वार करके 9 कटे हुए घाव की चोटे कारित की गयी है और मौके से आलाकत्ल चाकू बरामद हुआ है। विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट कागज सं0 15क/3 के अनुसार आलाकत्ल चाकू पर खून लगा पाया गया है। इसके अतिरिक्त मौके से बरामद दुपट्टा, सौ–सौ के नोट पर मानव रक्त पाया गया है तथा मृतका की साड़ी, ब्लाउज, पेटीकोट पर भी मानव रक्त पाया गया है। अभियुक्त घर से बाहर नहीं गया था, वह घटना के समय मौके पर ही था और उसके द्वारा ही मृतका की चाकू से 9 वार निर्ममतापूर्ण दहेज हत्या कारित की गयी है और घटना कारित करने के बाद वह मौके से भाग गया था। इसलिए यह दर्शाता है कि अभियुक्त का आचरण मृतका के प्रति सदभाविक नहीं था। अतः अभियुक्त दोषसिद्ध होने योग्य है।

20. अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि अभियुक्त द्वारा मृतका व उसके पिता से अतिरिक्त दहेज की मांग नहीं की गयी है। अभियोजन द्वारा परीक्षित साक्षीगण मृतका के पिता व भाई व चाचा है, जिन्होंने द्वारा घटना नहीं देखी है। वे सभी घटना के बाद घटनास्थल पर आये है। घटना के किसी स्वतंत्र साक्षी को प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे अभियोजन कथानक साबित नहीं होता है। यह भी कथन किया है कि अभियुक्त घटना के समय घर पर नहीं था और मृतका को किसी ने रात में जान से मार दिया और विनोद सिंह के कहने पर यह झूठा मुकदमा लिखा दिया। अतः अभियुक्त को दोषमुक्त किया जाये।

21. उक्त तर्क के आलोक में पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं अभिलेखीय साक्ष्य का अवलोकन किया।

22. उक्त तर्क के सम्बन्ध में पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन किया। पी0डब्लू0–1 ने साक्ष्य में कहा है कि उसने अपनी लड़की सोनी का विवाह घटना से लगभग चार साल पहले रजयपाल के साथ किया था। शादी में उसने दान दहेज हैसियत के अनुसार दिया था। दिये गये दान दहेज से उसकी लड़की ससुराल वाले खुश नहीं थे। अतिरिक्त दहेज में दो तोले की सोने की एक चैन और बुलेट मोटरसाइकिल की मांग करते हुए उसकी लड़की को मारता पीटता व प्रताड़ित करता था। दिनांक 23.05.2019 को उसके लड़के ललित कुमार के फोन पर कॉल आयी। फोन करने वाले ने बताया कि तुम्हारी बहन को तुम्हारे बहनोई रजयपाल, उनके पिता सुल्तान व बड़ा भाई सूर्यपाल चाकू कुल्हाड़ी से मार रहे है। फोन की सूचना पर वह, उसका लड़का ललित कुमार व गॉव का एक लड़का और लड़की की ससुराल सिलौटन खेड़ा गया तो वहॉ पर देखा कि उसकी लड़की घर के अन्दर खून से लथपथ मरी पड़ी थी। इस साक्षी ने जिरह के पृष्ठ 10/1ए व 10ए/2 पर कहा है कि रजयपाल के द्वारा उसने अपनी लड़की को चाकू व कुल्हाड़ी से मारते हुए देखा नहीं है। रजयपाल ने 50,000/– किसलिए मांगे थे, उसे पता नहीं है। उसने 50,000/– रजयपाल को दिए थे। अपनी रिपोर्ट में उसने 50,000/– रूपये देने वाली बात रिपोर्ट में लिखाई थी। यदि रिपोर्ट में नहीं लिखा तो वजह नहीं बता सकता। यह रूपये उसने विनोद सिंह से उधार नहीं लिए, बल्कि 25,000/– बैंक से , बाकी फुटकर में रिश्तेदारों से लिए थे। यह 25,000/– उसने शादी के एक–डेढ़ साल बाद निकाले थे। शेष फुटकर रूपये रिश्तेदारों से भी एक–डेढ़ साल बाद लिए थे। 25,000/– उसने स्टेट बैंक नबाबगंज से निकाला था। उस समय रजयपाल भी उसके साथ बैंक गये थे। यह पचास हजार रूपये शादी के एक–डेढ़ साल बाद मांगे थे। बुलेट मोटरसाइकिल व सोने की चैन भी मांगी थी, जिसे वह दे नहीं पाया था। इस साक्षी ने जिरह के

पृष्ठ–10ए/3 पर कहा है कि उस समय घटनास्थल पर रजयपाल नहीं मिला था, बाकी थे। इस साक्षी ने इस सुझाव को गलत बताया कि उसकी लड़की को किसी ने रात में जान से मार दिया हो और विनोद सिंह के कहने पर यह मुकदमा लिखा दिया हो। उक्त तथ्यों की पुष्टि पी0डब्लू0–2 एवं पी0डब्लू0–3 ने भी अपने साक्ष्यों में की है। अभियुक्त द्वारा मृतका को चाकू से मारपीट कर गम्भीर चोटें पहुँचाई है और चोटों से उत्पन्न सदमा व रक्तस्राव से उसकी मृत्यु हुई है, इस तथ्य की पुष्टि चिकित्सक पी0डब्लू0–7 के साक्ष्य से भी होती है।

23. अभियोजन पक्ष की ओर से अभियुक्त पर लगाये गये दहेज मॉगने एवं दहेज हत्या के आरोप के क्रम में यह साबित करना है कि मृतका का विवाह अभियुक्त रजयपाल लोधी के साथ हुआ हो तथा उसके पति एवं सास, ससुर, देवर द्वारा दहेज की मॉग की गयी हो। दहेज न देने की दशा में अभियुक्त द्वारा मृतका को प्रताड़ित करते हुए क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया गया हो, जिसके फलस्वरूप विवाह के 7 वर्ष के अन्दर मृतका की असामान्य परिस्थितियों में मृत्यु हुई हो, तभी अभियुक्त के विरूद्ध धारा 113बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत दहेज हत्या की उपधारणा की जायेगी। इस सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 113बी के तहत उपधारणा किये जाने हेतु कश्मीर कौर आदि बनाम पंजाब राज्य एआईआर 2013 सु0को0 1039 के मामलें में दहेज हत्या के सम्बन्ध में मुख्य तत्वों को स्पष्ट करते हुए यह विधिक सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि 1. मृतका की मृत्यु, उसके मृत्यु पूर्व दहेज मॉगने और क्रूरतापूर्ण व्यवहार के फलस्वरूप असामान्य परिस्थितियों में हुई हो। 2. ऐसी मृत्यु विवाह के सात वर्ष के अन्दर हुई हो। 3. यह भी स्थापित करना चाहिए कि मृत्यु से पूर्व उसके साथ क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया गया हो और प्रताड़ित किया गया हो। एक अन्य नजीर सुरेश कुमार बनाम हरियाणा राज्य एआईआर 2014 सु0को0 (सप्ली) 708 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दहेज हत्या के सम्बन्ध में यह विधिक सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि अभियोजन पक्ष का यह प्रारम्भिक दायित्व है कि मृतका की मृत्यु विवाह से सात वर्ष के अन्दर दहेज मॉगने के साथ किये गये क्रूरतापूर्ण व्यवहार के कारण असामान्य परिस्थितियों में होना साबित करेगा। यदि अभियोजन पक्ष अपने प्रारम्भिक दायित्व को साबित कर लेता है। तब यह भार अभियुक्त पर हो जायेगा कि वह अपनी निर्दोषिता साबित करें। अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत तथ्य के साक्षियों ने अभियुक्त पर लगाये गये दहेज मॉगने एवं दहेज हत्या के आरोप को साबित किया है कि मृतका का विवाह अभियुक्त रजयपाल लोधी के साथ दिनांक 17.04.2015 को हुआ था और अभियुक्त द्वारा अतिरिक्त दहेज की मॉग की गयी थी। दहेज न देने की दशा में अभियुक्त द्वारा मृतका को प्रताड़ित करते हुए क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया गया और उसके साथ मारपीट की गयी, जिसके फलस्वरूप विवाह के 7 वर्ष के अन्दर मृतका की असामान्य परिस्थितियों में मृत्यु हुई है, अतः अभियुक्त के विरूद्ध धारा 113बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत दहेज हत्या की उपधारणा की जायेगी।

24. उपरोक्त साक्षियों की साक्ष्य से यह निष्कर्ष निकलता है कि मृतका सोनी का विवाह अभियुक्त रजयपाल लोधी के साथ दिनांक 17.04.2015 में हुआ था तथा प्रस्तुत मामले की घटना दिनांक 23.05.2019 की है। इस प्रकार मृतका की मृत्यु शादी से 7 वर्ष के अन्दर असामान्य परिस्थितियों में उसके ससुराल के घर में हुई है। अभियुक्त रजयपाल ने अपने बयान अंतर्गत धारा 313 दं0प्र0सं0 में यह कहीं नहीं कहा है कि वह घटना के समय घर पर नहीं था और कहीं बाहर गया था और न ही किसी साक्षी को सफाई साक्ष्य में प्रस्तुत किया है। इस प्रकार अभियोजन पक्ष

के द्वारा यह साबित किया गया है कि अभियुक्त रजयपाल लोधी द्वारा मृतका से उसकी मृत्यु के ठीक पूर्व तक उससे दहेज में दो तोला सोने की चैन व मोटरसाइकिल की मांग लगातार की जाती रही और जब मृतका मायके आती थी तो वह अपने पिता व भाई को तो रो–रो कर उक्त दहेज की मांग वाली बात बताती थी और जब वादी मुकदमा पी0डब्लू0–1 गनेश व उसका भाई पी0डब्लू0–2 ललित मृतका की ससुराल जाकर कहते थे कि जितनी उनकी हैसियत थी दे चुके, अब नहीं दे सकते। घटना वाले दिन भी उक्त अतिरिक्त दहेज की गयी। उक्त दहेज की मॉग को लेकर मृतका को मानसिक एवं शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया और मृतका की हत्या दहेज की मॉग को लेकर उसकी ससुराल में असामान्य परिस्थितियों में चाकू से उसके शरीर पर वार करके कर दी। नक्शानजरी प्रदर्श क–8 से स्पष्ट होता है कि मृतका की हत्या कच्चे मकान में ''एक्स'' स्थान पर की गयी है। बचाव पक्ष यह तथ्य साबित करने में असफल रहा है कि मृतका को किसी ने रात में जान से मार दिया हो। इस प्रकार अभियुक्त द्वारा ही मृतका के शरीर पर चाकू से 9 वार किये गये और जिससे उत्पन्न सदमा व रक्तस्राव के कारण उसकी मृत्यु हो गयी। इस तथ्य की पुष्टि चिकित्सक पी0डब्लू0–7 के बयान से भी होती है। इसलिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 113बी के अन्तर्गत यह अवधारणा की जायेगी कि अभियुक्त रजयपाल लोधी के द्वारा मृतका की दहेज हत्या कारित की गयी है। जहॉ तक अभियुक्त का मृतका के प्रति सदभाविक आचरण का प्रश्न है। इस सम्बन्ध में पी0डब्लू0–1 ने स्पष्ट रूप से जिरह के पृष्ठ 10ए/3 पर कहा है कि उस समय घटनास्थल पर रजयपाल नहीं मिला था। बाकी थे। इस प्रकार स्पष्ट है कि अभियुक्त का मृतका के प्रति आचरण सदभाविक नहीं रहा है, क्योंकि अभियुक्त मृतका के साथ मारपीट करने के बाद घर से भाग गया था। अतः अभियुक्त रजयपाल लोधी धारा 498ए,304बी भा0दं0सं0 एवं धारा 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत दोषसिद्ध होने योग्य है।

25. प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्त के विरूद्ध धारा 302 भा0दं0सं0 का भी आरोप सृजित किया गया है। मृतका की मृत्यु अभियुक्त के घर में असामान्य परिस्थितियों में हुई है। इसलिए साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 के अनुसार यह साबित करने का भार अभियुक्त पर आ जाता है कि मृतका की मृत्यु कैसे हुई और किन परिस्थितियों में हुई। इस सम्बन्ध में अभियुक्त ने अपने बयान अंतर्गत धारा 313 दं0प्र0सं0 में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है और न ही कोई मौखिक या अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत किया है कि मृतका की मृत्यु कैसे और किन परिस्थितियों में हुई। ऐसी स्थिति में अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षीगण पी0डब्लू0–1 लगायत पी0डब्लू0–3 के साक्ष्य के आधार पर ही विश्लेषण किया जाना आवश्यक है। तथ्य के उक्त तीनों साक्षियों के बयान के अवलोकन से यह निष्कर्ष निकलता है कि अभियुक्त द्वारा अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर ही मृतका की चाकू से मारपीट कर हत्या की गयी है। तथ्य के साक्षियों के साक्ष्य में यह बात नहीं आयी है कि मृतका की मारपीट हत्या करने के उद्देश्य की गयी थी। ऐसी स्थिति में साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 के अन्तर्गत अभियुक्त के विरूद्ध हत्या किये जाने की अवधारणा नहीं की जायेगी। अतः अभियुक्त रजयपाल लोधी धारा 302 भा0दं0सं0 के तहत दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता है।

26. महेन्द्र सिंह आदि बनाम मध्य प्रदेश राज्य (2022)7 एससीसी 157 एवं लालू मांजी बनाम स्टेट आफ झारखण्ड ए0आई0आर0 2003 एस0सी0 854 में प्रतिपादित सिद्धान्त में कहा है कि साक्षियों की तीन श्रेणियां होती है। पूर्णतः विश्वसनीय, पूर्णतः अविश्वसनीय तथा अंशतः विश्वसनीय व अंशतः अविश्वसनीय होती है। उक्त विधि व्यवस्था के आलोक में पी0डब्लू0–1 लगायत

पी0डब्लू0–3 का साक्ष्य से अभियुक्त रजयपाल द्वारा मृतका से दहेज मांगने, दहेज की मॉग को लेकर मृतका को प्रताड़ित करने और उसकी दहेज हत्या कारित करने के सम्बन्ध में साबित होती है। इस प्रकार पी0डब्लू0–1 लगायत पी0डब्लू0–3 का साक्ष्य अभियुक्त रजयपाल लोधी के सम्बन्ध में पूर्णतः विश्वसनीय की श्रेणी में होने के कारण उनके साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त दोषसिद्ध किये जाने योग्य है।

27. पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के विश्लेषण के उपरांत न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुॅचता है कि मृतका सोनी का विवाह अभियुक्त रजयपाल लोधी के साथ दिनांक 17.04.2015 को हुआ था। मृतका से दहेज में अतिरिक्त दहेज में दो तोला सोने की चैन व मोटरसाइकिल की मॉग की गयी और दहेज की मॉग पूरी न होने पर उसे मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया और शादी के 7 वर्ष के अन्दर ही दिनांक 23.05.2019 को अभियुक्त रजयपाल लोधी ने मृतका के शरीर पर चाकू से वार करके दहेज हत्या कारित कर दी, जिसकी पुष्टि चिकित्सक पी0डब्लू0–7 द्वारा की गयी है। अभियोजन पक्ष अभियुक्त रजयपाल लोधी के विरूद्ध युक्तियुक्त संदेह से परे धारा 498ए,304बी भा0दं0सं0 एवं धारा 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम का आरोप साबित करने में सफल रहा है। अतः अभियुक्त रजयपाल लोधी धारा 498ए,304बी भा0दं0सं0 एवं धारा 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत दोषसिद्ध होने योग्य है। तथ्य के साक्षियों के साक्ष्य में यह बात नहीं आयी है कि मृतका की मारपीट हत्या करने के उद्देश्य की गयी थी। ऐसी स्थिति में साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 के अन्तर्गत अभियुक्त के विरूद्ध हत्या किये जाने की अवधारणा नहीं की जायेगी। अतः अभियुक्त रजयपाल लोधी अंतर्गत धारा 302 भा0दं0सं0 के आरोप से दोषमुक्त होने योग्य है।

आदेश

अभियुक्त रजयपाल लोधी को धारा 498ए,304बी भा0दं0सं0 एवं धारा 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम में दोषसिद्ध किया जाता है। अभियुक्त रजयपाल लोधी को अंतर्गत धारा 302 भा0दं0सं0 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में जेल से उपस्थित है। अभियुक्त को सजा के बिन्दु पर सुनवाई हेतु पत्रावली लंच बाद पेश हो।

दिनांक–06.06.2026

(अनिल कुमार वर्मा–प्रथम)
सत्र न्यायाधीश,
उन्नाव

लंच बाद–

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता को दण्ड के प्रश्न पर सुना गया। अभियुक्त के अधिवक्ता द्वारा यह कहा गया है कि अभियुक्त लगातार 7 साल से जेल में निरूद्ध है, उसका कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं है। अभियुक्त व उसका परिवार निर्धन होने के कारण मुकदमें की पैरवी करने वाला कोई व्यक्ति नहीं है। अभियुक्त नवयुवक है। उसके माता–पिता वृद्ध है और उनकी देखभाल करने वाला कोई अन्य व्यक्ति नहीं है। उसके प्रति सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए कम से कम दण्ड से दण्डित किया जाये।

विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता की ओर से यह कहा गया है कि अभियुक्त रजयपाल लोधी द्वारा अतिरिक्त दहेज में दो तोला सोने की चैन व मोटरसाइकिल न दिये जाने के कारण मृतका को शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित किया और क्रूरतापूर्वक व्यवहार करते हुए उसके शरीर के मार्मिक अंगो व अन्य अंगों पर चाकू से 9 वार करके हत्या की गयी है। इसलिए अधिक

से अधिक दण्ड से दण्डित किया जाये।

उभयपक्ष को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली पर उपलब्ध प्रथम रिमाण्ड सीट के अवलोकन से ज्ञात होता है कि अभियुक्त दिनांक 26.05.2019 से लगातार जेल में निरूद्ध है। इस प्रकार अभियुक्त आज दिनांक 06.06.2026 तक अर्थात 7 वर्ष 10 दिन जेल में निरूद्ध है। अभियुक्त नवयुवक है और उसकी उम्र लगभग 36 वर्ष है। अभियुक्त के वृद्ध माता–पिता है, जिनकी देखभाल करने वाला कोई अन्य व्यक्ति नहीं है। अभियुक्त व उसका परिवार निर्धन होने के कारण कोई पैरवी करने वाला नहीं है। उपरोक्त तथ्यों, परिस्थितियों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए उसको कठोर कारावास से दण्डित किये जाने से न्याय की मंशा पूरी हो जायेगी।

<u>आदेश</u>

अभियुक्त रजयपाल लोधी को धारा 498ए, 304बी(2) भा0दं0सं0 तथा धारा 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत दोषसिद्ध किया जाता है तथा अभियुक्त रजयपाल लोधी को धारा 302 भा0दं0सं0 के तहत दोषमुक्त किया जाता है।

अभियुक्त रजयपाल लोधी को धारा 498ए भा0दं0सं0 के तहत अभियुक्त को दो वर्ष का कठोर कारावास एवं पॉच हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड न अदा करने पर अभियुक्त को 10 दिन के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतेगा।

अभियुक्त रजयपाल लोधी को धारा 304बी(2) भा0दं0सं0 के तहत 7 वर्ष (सात वर्ष) के कठोर कारावास की सजा से दण्डित किया जाता है।

अभियुक्त रजयपाल लोधी को दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 4 के तहत दो वर्ष का कठोर कारावास एवं पॉच हजार के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड न अदा करने पर 10 दिन के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतेगा।

अभियुक्त की सभी सजाएं साथ–साथ चलेगी। अभियुक्त द्वारा जेल में बिताई गयी अवधि को कारावास की सजा में समायोजित किया जायेगा।

अभियुक्त का सजायाबी वारण्ट बनाकर जिला कारागार, उन्नाव भेजा जाये।

दिनांक–06.06.2026

(अनिल कुमार वर्मा–प्रथम)
सत्र न्यायाधीश,
उन्नाव

इस निर्णय एवं आदेश को आज मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित, दिनांकित किया जाकर सुनाया गया।

दिनांक–06.06.2026

(अनिल कुमार वर्मा–प्रथम)
सत्र न्यायाधीश,
उन्नाव
जेओ कोड यूपी 6552